



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 13 अगस्त, 2004

श्रावण 22, 1926 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 1226/सात-वि-1-1(क)29-2004

लखनऊ, 13 अगस्त, 2004

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2004 पर दिनांक 12 अगस्त, 2004 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22 सन् 2004 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2004

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22 सन् 2004)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2000 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के पचपनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2004 कहा जायेगा।

संक्षिप्त नाम

उत्तर प्रदेश
अधिनियम संख्या
12 सन् 2000
की धारा 4 का
संशोधन

2-उत्तर प्रदेश माल के प्रदेश पर कर अधिनियम, 2000 का, धारा 2 में, उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :-

“(2-क) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए कि ऐसी अधिसूचना में अधिसूचित की जाये, कर की धनराशि को ऐसी सीमा तक माफ कर सकती है जो यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो कि किसी ऊर्जा परियोजना औद्योगिक इकाई में उपभोग या उपयोग के लिए किसी स्थानीय क्षेत्र के बाहर के किसी स्थान से उस स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर की प्रभावी दरें, राज्य ऊर्जा नीति के प्रारम्भ होने के दिनांक को लागू सम्बन्धित दरों से अधिक न हों।”

उद्देश्य और कारण

राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित राज्य ऊर्जा नीति, 2003 को कार्यान्वित करने की दृष्टि से यह विनिश्चय किया गया है कि उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2000 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2000) को संशोधित करके कर की धनराशि को ऐसी सीमा तक जो यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो कि किसी ऊर्जा परियोजना औद्योगिक इकाई में उपभोग या उपयोग के लिए किसी स्थानीय क्षेत्र के बाहर के किसी स्थान से उस स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर की प्रभावी दरें, उक्त नीति के प्रारम्भ होने के दिनांक को लागू सम्बन्धित दरों से अधिक नहीं होंगी, माफ कर सकने के लिए राज्य सरकार को सशक्त करने की व्यवस्था की जाय।

तदनुसार उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2004 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
धर्म वीर शर्मा,
प्रमुख सचिव।

No. 1226(2)/VII-V-1-1 (Ka) 29-2004

Dated Lucknow, August 13, 2004

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Mal Ke Pravesh Par Kar (Dwitiya Sanshodhan) Adhiniyam, 2004 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 22 of 2004) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 12, 2004.

THE UTTAR PRADESH TAX ON ENTRY OF GOODS (SECOND AMENDMENT) ACT, 2004

(U.P. ACT NO. 22 OF 2004)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Tax on Entry of Goods Act, 2000

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-fifth Year of the Republic of India as follows:-

Short title

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Tax on Entry of Goods (Second Amendment) Act, 2004.

2. In section 4 of the Uttar Pradesh Tax on Entry of Goods Act, 2000, *after* sub-section (2), the following sub-section shall be *inserted*, namely:-

Amendment of
section 4 of U. P.
Act no. 12 of 2000

“(2-A) The State Government may, by notification, remit the amount of tax to the extent necessary to ensure that effective rates of tax on entry of goods into a local area from any place outside that local area, for consumption or use in a Power Project Industrial Unit, do not exceed the respective rates applicable as on the date of commencement of State Energy Policy subject to the conditions as may be notified in such notifications.”

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

With a view to implementing the State Energy Policy, 2003 approved by the State Government it has been decided to amend the Uttar Pradesh Tax on Entry of Goods Act, 2000 (U. P. Act no. 12 of 2000) to provide for empowering the State Government to remit the amount of tax to the extent necessary to ensure that the effective rates of tax on entry of goods into a local area from any place outside that local area for consumption or use in a Power Project Industrial Unit shall not exceed the respective rates applicable on the date of commencement of the said Policy.

The Uttar Pradesh Tax on Entry of Goods (Second Amendment) Bill, 2004 is introduced accordingly.

By order,
D. V. SHARMA,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए० पी० 349 राजपत्र (हि०)-(936)-2004-597 प्रतियाँ (कम्प्यूटर/आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०-ए० पी० 156 सा० विधायी-(937)-2004-850 प्रतियाँ (कम्प्यूटर/आफसेट)।